भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1374

जिसका उत्तर सोमवार 01 जुलाई, 2019

10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्रक उद्यमों का परिसंपत्ति मुद्रीकरण

1374. श्री नितेश गंगा देब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) वर्तमान विश्व में बेहतर प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा के लिए सरकारी क्षेत्रक उद्यम के पुनर्गठन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्रक उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कितना विनिवेश किए जाने की योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) तथा (ख) : जी, हां। मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र का अनुमोदन किया है। इस नीतिगत ढांचे में निम्नलिखित के मुद्रीकरण हेतु संस्थागत ढांचा निर्धारित किया गया है :

(क) सामरिक विनिवेश के अधीन सीपीएसईस की अभिज्ञात गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां;

(ख) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8ए की उप-धारा 6 के अनुसार शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई), गृह मंत्रालय की अभिरक्षा के अधीन शत्रु अचल संपत्तियां;

-2/-

(ग) यह ढ़ांचा सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से अन्य सीपीएसईस/पीएसयूस/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु उपयोग के लिए भी उपलब्ध है;

(घ) बंदीकरण के अधीन रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईस सामान्यत: इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.06.2018 के बंदीकरण दिशा-निदेशों का पालन करते हैं। तथापि कोई भी रूग्ण/घाटे में चलने वाला सीपीएसईस सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से इस ढ़ांचे को अपना सकता है।

भारत सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोक परिसंपत्तियों में किए गए निवेश के मूल्य को निर्मुक्त करना है जिन्होंने अभी तक उपयुक्त या संभाव्य आय अर्जित नहीं की है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन का संबंध है, दीपम द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) के पुनर्गठन से संबंधित दिशा-निर्देश दिनांक 27.05.2016 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, सीपीएसईस द्वारा शेयरों की वापस खरीद के बारे में सीपीएसईस के पूंजीगत पुनर्गठन हेतु सामान्य सिद्धांत और तंत्र निर्धारित किए गए हैं और ये दिशा-निर्देश उन सभी निगमित निकायों के लिए लागू होंगे, जहां भारत सरकार और/या सरकार द्वारा नियंत्रित एक या एक से अधिक निगमित निकायों का नियंत्रक हित हो। इन दिशा-निर्देशों का केन्द्र बिन्दु सीपीएसईस द्वारा निधियों का ईष्टतम उपयोग करना है ताकि आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके।

(ग) : अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

*****